by the Chairman or a member of the UPSC shall be held.

[F.No. 5-11/88-FY(Adm.) P[.]

K.P. MALHOTRA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1053 dated 2-9-1972.

पर्यावरण ग्रोर वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 ग्रगस्त, 1998

सा.का.नि. 154 :—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव संरक्षण ग्रधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ग्रध्यक्ष, सदस्य ग्रौर सदस्य सचिव (सेवा शर्तें) नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, ग्रर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ग्रध्यक्ष, सदस्य ग्रौर सदस्य सचिव (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ग्रध्यक्ष, सदस्य ग्रौर सदस्य सचिव (सेवा शर्तें) नियम, 1992 के नियम 4, उपनियम (3) में, शीर्षक 'ग्रावश्यक ग्रर्हताएं' के नीचे खंड (क) ग्रौर (ग) में, दोनों स्थानों पर, '29 वर्ष' ग्रंक ग्रौर शब्द के स्थान पर 'ग्रठारह वर्ष' शब्द रखे जायेंगे।

[सं एफ० 6-3/91-डब्ल्यू एल ग्राई]

सर्वेश्वर झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 601 दिनांक 26-12-92 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 10th August, 1998

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the chairperson, members and Member-Secretary of the Central Zoo Authority (conditions of service) Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the chairperson, members and Member-Secretary of the Central Zoo Authority (conditions of service) (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the chairperson, members and Member-Secretary of the Central Zoo Authority (conditions of service) Rules, 1992, in rule 4, in sub-rule (3), under the heading "Essential Qualification", in clauses (a) and (c) at both the places for the words "twenty years", the words "eighteen years", shall be substituted.

[No. F. 6-3/91-WLI]

SARWESHWAR JHA, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide Number G.S.R. 601, dated 26-12-1992.